सत्यमेव जयते

राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या–26 (लो0सू0अ0) / 2022–23
सुश्री सुजाता कुमारी, पिता–श्री सुधीर कुमार, सा॰–बनगॉव रोड, वार्ड नं॰–22, थाना+पोस्ट+जिला–सहरसा
बनाम
लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
21.06.2022	सुश्री सुजाता कुमारी, पिता–श्री सुधीर कुमार, सा॰–बनगॉव रोड, वार्ड नं॰–22, थाना+पोस्ट+जिला–सहरसा के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–16.05.2022 इस कार्यालय में दिनांक–20.06.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का दो पोस्टल ऑर्डर संख्या–59F 412988 दिनांक–अस्पष्ट संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलार्थी सुश्री सुजाता कुमारी ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–02.05.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन कुलपति, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, लालू नगर, मधेपुरा को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया है, जिसके फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार–सह–महामहिम राज्यपाल के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही श्री उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–02.05.2022 की प्रति भी संलग्न है। विदित हो कि कोई भी विश्वविद्यालय एक स्वायत (Autonomous) संस्था है तथा यह सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत एक स्वतंत्र लोक प्राधिकार है, जिसके कारण संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अपने विश्वविद्यालय के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार को Designate किया जाता है। अतः विश्वविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत दायर होने वाले आवेदन के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार उक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही रहते हैं न कि राज्यपाल सचिवालय अथवा कुलाधिपति कार्यालय में। अपीलकर्त्ता सुश्री सुजाता कुमारी ने गलत अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है, अतः इसे अस्वीकृत किया जाता है। सभी संबंधित को सूचित करें। **विशेष कार्य पदाधिकारी** **–सह–** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	

राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या–26 (लो0सू0अ0)/2022–23
सुश्री सुजाता कुमारी, पिता–श्री सुधीर कुमार, सा॰–बनगॉव रोड, वार्ड नं॰–22, थाना+पोस्ट+जिला–सहरसा

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
21.06.2022	सुश्री सुजाता कुमारी, पिता–श्री सुधीर कुमार, सा॰–बनगॉव रोड, वार्ड नं॰–22, थाना+पोस्ट+जिला–सहरसा के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–16.05.2022 इस कार्यालय में दिनांक–20.06.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का दो पोस्टल ऑर्डर संख्या–59F 412988 दिनांक–अस्पष्ट संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलार्थी सुश्री सुजाता कुमारी ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–02.05.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन कुलपति, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, लालू नगर, मधेपुरा को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया है, जिसके फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार–सह–महामहिम राज्यपाल के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही श्री उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–02.05.2022 की प्रति भी संलग्न है। विदित हो कि कोई भी विश्वविद्यालय एक स्वायत (Autonomous) संस्था है तथा यह सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत एक स्वतंत्र लोक प्राधिकार है, जिसके कारण संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अपने विश्वविद्यालय के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार को Designate किया जाता है। अतः विश्वविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत दायर होने वाले आवेदन के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार उक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही रहते हैं न कि राज्यपाल सचिवालय अथवा कुलाधिपति कार्यालय में। अपीलकर्त्ता सुश्री सुजाता कुमारी ने गलत अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है, अतः इसे अस्वीकृत किया जाता है। सभी संबंधित को सूचित करें। (हस्ताक्षर) 21/6/2022 **विशेष कार्य पदाधिकारी** **–सह–** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	

ज्ञापांक– 771/रा0स0वि0(iii) दिनांक–21-06-2022

प्रतिलिपिः– लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/ सुश्री सुजाता कुमारी, पिता–श्री सुधीर कुमार, सा॰–बनगॉव रोड, वार्ड नं॰–22, थाना+पोस्ट+जिला–सहरसा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 21/6/2022

विशेष कार्य पदाधिकारी

9/c